

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 860


दिनांक :- 8/8/24

II संशोधित कार्यालय आदेश II

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 826 दिनांक 03.08.2024 में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली को आवश्यक घरेलू कार्य होने से जयपुर जाने के कारण संशोधन कर दिनांक 11.08.2024 एवं दिनांक 25.08.2024 के राजकीय अवकाशों के लिए टोंक न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल से सम्बन्धित कार्य हेतु नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करने के लिए अधिकृत करता हूँ। माह अगस्त के लिए अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	हर्ष मीना	8290481196	11.08.24
2.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	यतिन खटाना	8860702787	25.08.24

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इ्यूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 861-869

दिनांक :- 8/8/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
3. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
4. पुलिस अधीक्षक, टोंक।
5. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
6. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
7. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
8. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
9. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)